कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

(जिला न्यायालय देवास में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु)

क्रमांक .....187../दो–6–5/2024 देवास दिनांक 14.09.2024

निविदा के लिए समय	21 दिन
निविदा आमंत्रण सूचना जारी किये जाने की दिनांक	14.09.2024
निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम दिनांक	05.10.2024
निविदा खोले जाने का दिनांक एवं समय	05.10.2024 सायं 5.00 बजे

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय देवास में अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन हेतु इच्छुक एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तो के अधीन आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2024 तक सांय 4:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र, शर्ते तथा नियत दरों की सूची नजारत अनुभाग जिला न्यायालय देवास से रूपये **250/–** का आवेदन शुल्क जमा कर कार्यालयीन समय पर (निविदा की शर्तो संबंधी निविदा प्रलेख एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय देवास की वेबसाईड https://dewas.dcourts.gov.in/#tenders पर उपलब्ध है।) प्राप्त कर सकते हैं।

इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र भरकर, शर्तो तथा नियत दरों की सूची पर हस्ताक्षर कर एवं 25,000 (पच्चीस हजार रुपये मात्र) राशि की एफ0डी0आर0 संलग्न कर बंद लिफाफे में जिला न्यायालय देवास के सर्वर अनुभाग में उक्त दिनांक तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा दिनांक 05.10.2024

को सांयकाल 5.00 बजे अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते है। प्राप्त निविदाओं में से प्रत्येक निविदाकर्ता का साक्षात्कार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास द्वारा नामित समिति के द्वारा लिया जाएगा। दक्षता, निष्ठा, कर्तव्यपरायण व प्रतिबद्धता के आधार पर सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा। अधिक संख्या में निविदा प्राप्त होने की दशा में सभी निविदाकर्ताओं को सूचित करते हुए, चयन की अन्य प्रक्रिया भी अपनाई जा सकेगी। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। सफल आवेदनकर्ता के अतिरिक्त शेष आवेदनकर्ता से प्राप्त/जमा एफ.डी.आर., कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित आवेदनकर्ताओं को वापस कर दिया जावेगा।

प्रधान जिला न्यायाधीश
देवास (म.प्र.)

<u>आवेदन पत्र</u>

<u>(जिला न्यायालय देवास में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु)</u>

1. आवेदक का नाम :..

2. आधार कार्ड/पेनकार्ड/वोटर आई.डी. अन्य शासकीय दस्तावेज की

प्रति एवं नबंर :..

3. पिता/पति का नाम :..

4. पता एवं मोबा.नं. :..

....

....

5. सुरक्षा निधि की जानकारी :एफ.डी.आर.नं..

बैंक का नाम :..

6. कियोस्क पंजीयन क्रमांक :..

(कियोस्क संचालन के लायसेंस एवं तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है)

7. कियोस्क संचालन का वर्तमान पता :..

....

8. कियोस्क के वॉलेट से जुड़े बैंक संव्यवहार का खाता कमांक, नाम एवं जमा राशि

....

....

(कियोस्क संचालन के संबंध में बैंक से किये गये ऑनलाईन संव्यवहार की पिछले तीन वर्ष की छायाप्रति संलग्न है)

|| घोषणा –पत्र ||

मैं...यह घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने जिला न्यायालय देवास में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क सेंटर संचालन करने के संबंध में सभी शर्तो का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त बिंदू क्रमांक 01 से 08 तक जो जानकारी भरकर तथा संलग्न कर प्रस्तुत की है वह पूर्ण रूप से सत्य व सही है।

देवास, दिनांक :

हस्ताक्षर :...

नाम पता मो.नं...

निविदा–प्रलेख
जिला न्यायालय देवास में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु शर्ते

1. जिला न्यायालय परिसर देवास में एम.पी.ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क पोर्टल को संचालित करने हेतु आवेदन करते समय रूपये 25,000/– {रूपये पच्चीस हजार} की जमा राशि/सुरक्षा निधि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवानी होगी।

2. मासिक किराये की न्यूनतम दर राशि रूपये 1450/– प्रतिमाह प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अग्रिम देय होगी तथा निरंतर दो माह तक किराया जमा नहीं करने की दशा में सुरक्षा निधि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा अनुबंध/ठेका तत्काल निरस्त किया जाएगा। किराए की उक्त राशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकेगी।

3. उक्त प्रतिष्ठान संचालक को अपना विद्युत व्यय स्वयं उपगत करना होगा और इस हेतु स्वयं के व्यय पर सब मीटर लगवाना होगा।

4. एम.पी.ऑनलाईन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु स्थान के रूप में 10 गुणित 10 फीट का एक कमरा उपलब्ध करवाया जायेगा।

5. सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में तीन वर्ष के लिए सेंटर के संचालन की अनुमति दी जायेगी। तत्पश्चात् एक बार में एक वर्ष के लिए तथा अधिकतम 3 वर्ष के लिए समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा।

6. आवेदक के पास कम से कम तीन वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लायसेंस एवं अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7. विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल से सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. सफल आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर, इंटरनेट सुविधा, बॉयोमैट्रिक डिवाईस, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि की व्यवस्था स्वंय के व्यय पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त सफल आवेदनकर्ता को पी.ओ.एस. मशीन एवं क्यू. आर.कोड रखना अनिवार्य है। उक्त समस्त उपकरणों के रख–रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व सफल आवेदनकर्ता का ही रहेगा।

9. सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो राशि नगदी/नगद रूपये के माध्यम से जिला न्यायालय में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन सेंटर में जमा हो रही है उसके संबंध में रसीद प्रदान करें तथा उसे किसी भी स्थिति में न्यायालय परिसर में नही रखा जाकर प्रतिदिन बैंक में जमा करवाना आवश्यक होगा।

10. आवेदनकर्ताओं को एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से बैंक में किये गये लेनेदेन का तीन साल का स्टेटमेंट एवं आवेदन दिनांक मे वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगा।

11. सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एम0पी0 ऑनलाईन वॉलेट में कम से कम राशि 1,00,000/—(एक लाख) रूपये रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

12. सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाले एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क में युक्तियुक्त संख्या में कर्मचारियों की न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया जाये, की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगानी होगी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता पी0जी0डी0सी0ए0 या उसके समकक्ष हो। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कियोस्क बंद नहीं रखा जायेगा। सफल आवेदनकर्ता के द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी उनका आधार कार्ड व अन्य विवरण कार्यालय को उपलब्ध करवाए जाएगें तथा कार्यालय द्वारा अधिकृत किए जाने पर ही उन्हें नियुक्त किया जाएगा।

13. व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक यदि कोई कर्मचारी नियुक्त करते है तो उन्हें श्रम विधियों के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

14. प्रतिष्ठान का पंजीकरण नगर निगम, देवास संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराना आवश्यक होगा।

15. सफल आवेदनकर्ता को 07 दिवस के अंदर कियोस्क का पता बदलवाकर जिला न्यायालय देवास का करवाना होगा। सफल आवेदनकर्ता को 15 दिवस के भीतर एम0पी0 ऑनलाईन कियोस्क जिला न्यायालय देवास में स्थापित कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

16. सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवायें प्रदान करनी होगी। सफल आवेदनकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवायें बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा की जाना अनिवार्य होगा।

17. यह कि आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10:30 से सांय 06:00 बजे तक या प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के आदेशानुसार अन्य दिवस पर कियोस्क सेंटर को खोलकर आमजनों को सेवाएं उपलब्ध करवायी जाना आवश्यक होगा।

18. आवेदक कियोक्स सेंटर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

19. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को यह अधिकार होगा कि ऑनलाईन कियोस्क सेंटर हेतु दिये गए स्थान से संचालक को किसी भी समय बिना कारण बताये एक माह के नोटिस पर कियोस्क सेंटर हटाने का आदेश दे सकता हैं।

20. आवेदन के समय आवेदनकर्ताओं को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस वेरिफीकेशन भी करवाया जायेगा।

21. यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपये वसूलने, शासकीय सम्पत्ति को नुकसान करने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं अधिवक्तागण/पक्षकारगण से दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है या ऐसा अन्य कोई कार्य जिससे कि शासन के नियमों का उल्लघंन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में से रूपये 1,000/–प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगायी जा सकेगी। यदि 01 वर्ष में अगर 30 दिन पेनाल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वयंमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 15 दिन में ऑनलाईन कियोस्क सेंटर को नियत स्थान से खाली करना होगा, अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे स्थान को रिक्त करवा लें।

22. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा क्षति कारित नहीं करेंगे।

23. व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति दर्शित कर अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

24. व्यवसायिक प्रतिष्ठान को आवंटित स्थान उसके द्वारा किसी अन्य को आवंटित अथवा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

25. यदि कियोस्क संचालन के कार्य में अनियमितता/लापरवाही पाई जाती है या उसके द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जायेंगा।

26. सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक के विरूद्ध पेनाल्टी लगाने या शर्तों का उल्लघंन करने पर की जाने वाली कार्यवाही में अंतिम निर्णय प्रधान जिला न्यायाधीश देवास का होगा।

The details of rates/portal fees is as given below:-

S. No.	Details	Proposed Portal Fee	Applicable Taxes	Total	Points as Per Letter
1	Enquiry of the case status	Free	Free	Free	Handing Enquiries about case status, next date of hearing and other details
2.1	Apply for certified copy	12.71	2.29	15.00	Facilitate Online Application for certified copies and other such filings
2.2	Print Out Charges				
a	Upto 5 pages	12.71	2.29	15.00	
b	Above 5 pages (per page cost to be charged)	1.69	0.31	2.00	
3.1	e-filling of petition with court fee upto Rs 1000	101.69	18.31	120.00	Facilitate e-filing of Petition in the softwere
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	33.90	6.10	40.00	
3.2	E-filling of petition with court fee Rs. 1001 to 5000	110.17	19.83	130.00	
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35 pages	33.90	6.10	40.00	
c	Court Fee	42.37	7.63	50.00	
3.3	e-filling of petition with court fee above Rs 5000	161.02	28.98	190.00	
a	Entry in Portal	33.90	6.10	40.00	
b	Scaning Upto 35				
4	To assist in online purchase of e-stamp papers/ e-payments/ e-court fees	As per point no. 3.1 (c), 3.2 (c) and 3.3 (3)			For payment of online court fees
5	Publicize and assist in downloading the mobile app of e-Court for "android" and "ios" operating system	Free			
6	Facilitate in booking of e-Mulakat appointment for meeting relatives locked in Jail	Free, but for printing the per page cost to be given of Rs. 02			

7	Handing queries about location of the particular court, its cause-list and whether the case is taken up for hearing or not	Free	
8	Guide people on how to avail free legal services from District Legal Service Authority, High Court Legal Service Committee and Supreme Court Legal Service Commitee	Free	
9	Explain method of arranging and holding a video conference court hearing	Free	
10	Provide softcopy of judicial orders/judments via email, whatsapp or any other available mode	Soft copy free, but for printing the pages the charge of Rs. 2 per page to be given	
11	Other queries and assistance in respect of facillities which are digitally which are digitally available under e-court project	Free	
12	Fines/deposits	Rs. 10 (portal charges) per transaction/deposit of fine	